कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक–246 / 228 / आउशि / शा.–5'अ' / 2020. भोपाल, दिनांक– 07 / 09 / 2020.

प्रति,

1. कुलसचिव,
   समस्त विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश।
2. प्राचार्य,
   समस्त अग्रणी महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
3. प्राचार्य,
   समस्त शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषयः– सत्र 2019–20 के अन्तर्गत विश्वविद्यालयीन परीक्षा संचालन के संबंध में निर्देश।

सन्दर्भः–
1. उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय आदेश क्रमांक एफ 770 / 2020 / 38–3 भोपाल, दिनांक 13.08.2020
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा के आदेश क्रमांक 581 / 202 / आउशि / शा.–5'अ' / 2020 भोपाल, दिनांक 18.08.2020
3. उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय आदेश क्रमांक 811 / 969 / 2020 / 38–3 भोपाल, दिनांक 26.08.2020

––000––

विषयान्तर्गत सन्दर्भित बाबत लेख है कि सत्र 2019–20 के अन्तर्गत स्नातक प्रथम / द्वितीय / तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय / चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षार्थियों की असाईनमेट / आतंरिक मूल्यांकन / ओपन बुक परीक्षा के माध्यम से परीक्षा आयोजित करते हुए परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। स्नातक / स्नातकोत्तर के समस्त पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 30 सितम्बर 2020 तक पूर्ण की जाना है एवं 30 अक्टूबर 2020 तक स्नातक / स्नातकोत्तर के समस्त पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने हैं।

स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के परीक्षार्थियों की असाईनमेट / आतंरिक मूल्यांकन / ओपन बुक परीक्षा के आयोजन एवं उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन इत्यादि कार्य को दृष्टिगत रखते हुए समस्त विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश तथा प्राचार्य समस्त शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / निजी अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश को निर्देशित किया जाता है कि सितम्बर–अक्टूबर 2020 के मध्य किसी भी माध्यम से वेबिनार / वर्कशॉप / सेमिनार / फेकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम इत्यादि आयोजित न किया जाएं।

विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार प्राचार्य समस्त अग्रणी महाविद्यालयों के माध्यम से स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षार्थियों की ओपन बुक परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे। यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवधि के मध्य **विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों के शैक्षणिक स्टॉफ परीक्षा संचालन / मूल्यांकन एवं प्रवेश प्रकिया के कार्यो को अनिवार्य रूप से सम्पादित करेंगे।**

"आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक–247 228 / आउशि / शा.–5'अ' / 2020. भोपाल, दिनांक–07 / 09 / 2020

प्रतिलिपि –

1. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश, ।
2. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. निज सहायक, अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. निज सहायक, कुलपति समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
4. समस्त, क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
5. वि.क.अ., आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।

–––की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश